

प्रेषक,

एच०पी० सिंह,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
उ०प्र०, लखनऊ।  
नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : ०१ नवम्बर, 2016

**विषय:** वित्तीय वर्ष 2016-17 में "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इंटरलाकिंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-957/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2015-16, दिनांक 13 जून, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना" वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि से जनपद-बलिया की न०पा०प०, बलिया व न०प०, सहतवार की ०९ परियोजनाओं एवं जनपद-कुशीनगर की न०प०, कप्तानगंज की २३ परियोजनाओं अर्थात् उक्त दोनों जनपदों की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण आदि कार्यों सम्बन्धित अलग-अलग कुल ३२ परियोजनाओं हेतु ₹० 362.05 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का ५० प्रतिशत अर्थात ₹० 181.025 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-1368/69-1-2013-26(बजट)/2013, दिनांक ०९ अक्टूबर, २०१३ द्वारा जारी की गयी थी। अतएव वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से उक्त जनपदों में से केवल जनपद-कुशीनगर की न०प०, कप्तानगंज की ०७ परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु संलग्न तालिका के स्तम्भ-६ में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि ₹० 45.965 लाख (रूपये पैंतालिस लाख छानबे हजार पांच सौ मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

१. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक १६ जनवरी, २०१३ में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
२. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-६ के अध्याय-१२ के प्रस्तर-३१८ में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
३. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की

पृष्ठा १/२ | पृष्ठा २/२

- विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
  5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
  6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
  7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
  8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
  9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकित नहीं की गई है।
  10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
  11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ द्वारा विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३० प्र० शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
  13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
  14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

15. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।
16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2017 तक व्यय हो सके।
  2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक “2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-03-मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग तथा नाली आदि का निर्माण-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान” के नामे डाला जायेगा।
  3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-जाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।


संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,  
H.P.S.  
(एच०पी० सिंह)  
विशेष सचिव।\*

संख्या-115/2016/2483(1)/69-1-2016 तद्विनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, ३०प्र०, २० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, कुशीनगर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-८) अनुभाग, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गाई फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,  
  
(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)  
अनु सचिव।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	द्वितीय/ अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत प्रनराशि
1	2	3	4	5	6
1	कुशीनगर	न0पं0, कप्तानगंज	वार्ड नं0 07, सुभाष नगर में जय प्रकाश के घर से एम0 आई0 स्कूल होते हुये संजय पाण्डेय के घर तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	25.27	12.635
2	कुशीनगर	न0पं0, कप्तानगंज	वार्ड नं0 07, सुभाष नगर में मुकुल के घर से अदालत के घर होकर ओम प्रकाश के घर तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	15.51	7.755
3	कुशीनगर	न0पं0, कप्तानगंज	वार्ड नं0 17, हरिनाथ नगर उत्तरी में प्रमोद श्रीवास्तव के घर से गंगा के घर तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	19.63	9.815
4	कुशीनगर	न0पं0, कप्तानगंज	वार्ड नं0 12, एकलव्य नगर में हरिहर के घर से रेलवे ढाला तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	8.03	4.015
5	कुशीनगर	न0पं0, कप्तानगंज	वार्ड नं0 12, एकलव्य नगर में इण्डिया मार्का-द्वितीय हैन्ड पम्प का स्थापना कार्य (16 स्थानों पर संलग्न सूची के अनुसार)।	5.13	2.565
6	कुशीनगर	न0पं0, कप्तानगंज	वार्ड नं0 12, एकलव्य नगर में 17 स्थानों पर सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य।	6.39	3.195
7	कुशीनगर	न0पं0, कप्तानगंज	वार्ड नं0 12, एकलव्य नगर में बिहारी के घर से हरि सैनी के घर तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	11.97	5.985
योग				91.93	45.965

(रुपये पैंतालिस लाख छानबे हजार पांच सौ मात्र)।

(अधिलानन्द ब्रह्मचारी)

अनु सचिव।